संख्या- 50/2025/I/907744/2025/71-1002/18/2024

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बुलन्दशहर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 17 मार्च, 2025**

विषय:-स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1081/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 13.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु ग्राम वलीपुरा, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर की गाटा संख्या 46 रकबा 0.3040 हे0 में से 0.1540 हे0 व गाटा संख्या 48 रकबा 0.3410 हे0 में से 0.1000 हे0 व गाटा संख्या 53/1 रकबा 0.7760 हे0 में से 0.0500 हे0 व गाटा संख्या 58 रकबा 0.2530 हे0 में से 0.1530 हे0 अर्थात कुल रकबा 0.4570 हे0 (4570 वर्गमीटर) भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु ग्राम वलीपुरा, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर की गाटा संख्या 46 रकबा 0.3040 हे0 में से 0.1540 हे0 व गाटा संख्या 48 रकबा 0.3410 हे0 में से 0.1000 हे0 व गाटा संख्या 53/1 रकबा 0.7760 हे0 में से 0.0500 हे0 व गाटा संख्या 58 रकबा 0.2530 हे0 में से 0.1530 हे0 अर्थात कुल रकबा 0.4570 हे0 (4570 वर्गमीटर) भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने पर मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

पार्थ सारथी सेन शर्मा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।